

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

क्रमांक :- एफ 2(5948) / डी.ओ.आई. टी. / संस्था / 14/03344/2020

जयपुर, दिनांक : 11.08.2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित सूचना सहायकों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित निम्नलिखित अग्रिम अध्ययन परीक्षाओं में पत्राचार/स्वयंपाठी माध्यम से सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है:-

क्र.सं.	सेरियल नं. / कैल नं.	सूचना सहायक का नाम श्री/श्रीमती/शुभ्री	पदस्थापित कार्यालय का नाम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्था का नाम
1	4163	चंचल सोनगरा, सूचना सहायक	कार्यालय उपायुक्त प्रवर्तन परिवहन विभाग, जोधपुर	M.C.A 2 ND YEAR(2019-20)	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर
2	663	अश्विन्द कुमार जागिड, सूचना सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), धिंढावा, झुन्झुनू	M.C.A.(2019-20)	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर
3	216881	श्रीमती चन्द्रकला जागिड	कार्यालय उप वन संरक्षक झालावाड	M.C.A (2019-20)	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर

उक्त परीक्षाओं में पत्राचार विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति उपर्युक्त कर्मियों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
12. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कर्मिक/कर्मिका के विरुद्ध कर्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(5)(9)/कर्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यूआईडी) एवं प्रभारी अधिकारी
संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मिक.....।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सू. प्रौ. और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(13)
विशेषाधिकारी (यूआईडी) एवं प्रभारी अधिकारी
संस्थापन (अराजपत्रित)